सं. 43/8/65-स्था.(क)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय

नई दिल्ली
दिनांक : 02 अप्रैल, 1965

कार्यालय ज्ञापन

विषय : नियमित छुटटी के दौरान सरकारी कर्मचारियों को यात्रा रियायत के संबंध में और स्पष्टीकरण।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय के संबंध में इस विभाग के दिनांक 11 दिसम्बर, 1958 के कार्यालय ज्ञापन सं. 43/10/58-स्था.(क) का उल्लेख करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि अब यह निर्णय किया गया है कि जब कोई महिला सरकारी कर्मचारी छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठाकर अपने गृह नगर जाती है और गृह नगर में उसकी शादी हो जाती है तो उस महिला सरकारी कर्मचारी के पति द्वारा गृह नगर से महिला सरकारी कर्मचारी के प्रधान कार्यालय तक की गई यात्रा के लिए छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठाने की अनुमति दी जा सकती है।

2. ये आदेश जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे। साथ ही, उस तारीख को लंबित पड़े दावों से संबंधित मामलों पर भी ये आदेश लागू होंगे। निपटाए जा चुके पुराने मामलों को दोबारा न खोला जाए।

3. जहां तक भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत कार्मिकों के मामलों का संबंध है, नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक से परामर्श कर ये आदेश जारी किए गए हैं।

ह0/-
(एन रघुनाथन)

सेवा में

*सभी मंत्रालय आदि।
सभी संघ राज्य प्रदेश।
सभी जोनल परिषद।
सभी महालेखाकार।
वित्त मंत्रालय (ई/IV/बी) (20 अतिरिक्त प्रतियां)।आमतौर पर रखी जाने वाली अतिरिक्त प्रतियों सहित